Email:-np_ntd@yahoo.in
Phone:-02953-233526

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)

कमांक/न.पा.नाथ/राजस्व/2023/21392 दिनांक :-17/3/2023

ऑनलाईन निलामी सूचना

E-Auction program of Singel Plot khasra No. 492 at 120 Feet Raod ganesh nagar, nagar palika nathdwara, 2023

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा पालिका क्षेत्र में **"120 फिट रोड़ शिव मुर्ति के पास आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड खसरा संख्या 492 राजस्व ग्राम उपली ओडन तहसील नाथद्वारा"** में आवासीय भुखण्ड का जो जहाँ है जैसा है, की तर्ज पर फ्री हॉल्ड लीज (10 वर्षीय एक मुश्त) पर भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र No. F.17(10)UDH/II/2019 Jaipur Date-16-09-2019 के तहत् भुखण्ड की भव्य ऑन लाईन निलामी (ई-ऑक्शन) के आधार पर बोली आमंत्रित की जाती हैं।

उक्त ऑन लाईन निलामी (ई-ऑक्शन) निम्न सारणी अनुसार निर्धारित दिनांक को पालिका की वेबसाईट https:// urban.rajasthan.gov.in content / raj/udh/nagar-palika-nathdwara/en/home.html और, https://npn.procure247.com /home पर लगाई जा सकती हैं।

अमानत राशि जमा कराने/निलामी बोली प्रारंभ की दिनांक :- 20.03.2023
अमानत राशि जमा करवाने की अंतिम दिनांक :- 19.04.2023 दोपहर 01:00 बजे तक
निमाली बोली की अंतिम दिनांक :- 20.04.2023 दोपहर 12:30 बजे तक

क. स.	सम्पति का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग फिट में)	न्युन्तम बोली दर	पंजीयन शुल्क	धरोहर राशि
1.	120 फिट रोड़ शिव मुर्ति के पास आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड खसरा संख्या 492 राजस्व ग्राम उपली ओडन तहसील नाथद्वारा	89340.46 Sq Feet	1584.00/Sq. feet	20000	28.31 लाख

निलामी शर्ते :-

1. प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म को ई-ऑक्शन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए नीलामी से पुर्व 28.31 लाख मात्र धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी। उक्त धरोहर राशि जो बोली समाप्ति के पश्चात् सफल बोली दाता की राशि छोडकर शेष बोलीदाताओं को पुनः लोटा दी जावेगी। उक्त राशि पालिका संख्या 50200060718981 IFSC code:- HDFC0004256 में जरिये ऑनलाईन पोर्टल जमा होगी। उक्त राशि जमा पश्चात् HDFC बैंक द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति बोलीदाता उक्त निलामी हेतु निर्मित पोर्टल पर पुर्तियाँ पुर्ण कर बोली प्रकिया में भाग ले सकता हैं।
2. E-Auction द्वारा निलाम कि जाने वाले एकल भूखण्ड का नाप मौका अनुसार घट-बढ़ सकता हैं।
3. सफल बोलीदाता की बोली स्वीकृत किये जाने कि दशा में पुर्व में जमा धरोहर राशि को जमा मानते हुए मांग पत्र जारी होने के 03 कार्य दिवस में नगरपालिका नाथद्वारा के खाते में कुल स्वीकृत बोली (क्षेत्रफल X स्वीकृत बोली) का 15 प्रतिशत (पुर्व जमा धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) राशि ऑनलाईन पोर्टल , RTGS/NEFT द्वारा जमा करवानी होगी। एवं राशि जमा की सूचना राजस्व शाखा में देनी होगी। सफल बोली दाता द्वारा निर्धारित अवधि 03 दिवस में जमा नहीं करवाने पर अमानत राशि जब्त कर भूखण्ड की निलामी निरस्त कर दि जावेगी।
4. सफल बोली दाता को बिड राशि का 35 प्रतिशत मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 240 दिवस की अवधि में जमा करवानी होगी। यदि सफल बोली दाता 240 दिवस में राशि जमा कराने में असफल रहता हैं तो आगामी 60 दिवस अथवा बढ़ाई गई अवधि तक शेष बकाया राशि 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित जमा करवा सकता हैं। ब्याज की गणना मांग पत्र जारी होने की दिनांक से होगी।
5. सफल बोली दाता को बोली राशि का शेष 50 प्रतिशत मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 360 दिवस की अवधि में जमा करवानी होगी। यदि सफल बोलीदाता 360 दिवस में 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने में असफल रहता हैं तो अगामी 90 दिवस अथवा बढ़ाई गई अवधि तक शेष बकाया राशि 15 प्रतिशत ब्याज की दर से जमा करवा सकता हैं। ब्याज की गणना मांग पत्र जारी होने की दिनांक से होगी।
6. सफल बोलीदाता द्वारा पालिका से जारी मांग पत्र की दिनांक से 15 दिवस में भूखण्ड की सम्पुर्ण स्वीकृत बोली-राशि जमा करवायी जाती हैं तो वह कुल स्वीकृत बोली राशि पर 02 प्रतिशत छुट पाने का अधिकारी होगा।

अध्यक्ष
नगर पालिका नाथद्वारा

17/3/2023
आयुक्त
नगरपालिका, नाथद्वारा

Scanned by CamScanner

7. ई–निलामी में प्रत्येक बोली दाता को 100 रूपये के गुणक मे बोली लगानी अनिवार्य होगी।
8. निलाम किये जाने वाला भूखण्ड फ्री होल्ड लीज के आधार पर विक्रय होगा। लीज राशि आवासीय भूखण्ड पर 2.5 प्रतिशत की दर से वसुलनीय होगी। यदि बोलादाता द्वारा कय भूखण्ड के चालु वर्ष के साथ अग्रीम 10 वर्ष की लीज एक मुस्त जमा करवायी जाती है तो उक्त भूखण्ड का फ्री–होल्ड पट्टा राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार जारी किया जायेगा।
9. निलामी बोली निरस्त करने तथा निलामी अवधि बढ़ाने का अधिकार पालिका के पास सुरक्षित है।
10. निलामी की बोली उस समय तक अस्थाई होगी। जब तक सक्षम अधिकारी उसे स्वीकार न कर दे बोली अस्वीकार किये जाने पर जमाशुदा धरोहर राशि वापस लौटा दी जावेगी।
11. अन्य सभी राजकीय नियमों आदेशों (समय–समय पर यथा संशोधित) की पालना खरीददार को करना होगी तथा भविष्य में इस बाबत् कोई नियम बनाये जावेंगे तो वह लागु होंगे।
12. निलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, अध्यक्ष नगरपालिका नाथद्वारा में निहित होगा, जो समस्त बोलीदाताओं को मान्य होगा।
13. अन्य जानकारी कार्यालय में अथवा पालिका की वेबासाईट पर किसी भी कार्य दिवस में देखी या प्राप्त की जा सकती है।
14. उक्त निलामी हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सभी लाभ/छुट देय होगी।
15. उक्त सम्पति का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2021 अनुसार आवासीय है जिस पर भविष्य में किसी भी प्रकार के निर्माण हेतु नियमानुसार भवन निर्माण अनुमति नवीनतम भवन निर्माण अनुज्ञा अधिनियम के तहत् पालिका से लिया जाना अनिवार्य होगा।
16. आवासीय/व्यवसायिक भुखण्ड की रजिस्ट्री सफल बोलीदाता को स्वयं करवानी होगी तथा नीलामी में केता द्वारा खरीद किये भूखण्ड पर यदि निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता हैं तो 03 वर्ष की अवधि तक जिस भूखण्ड का आकार 1000 वर्ग मीटर तक हो, 05 वर्ष की अवधि तक जिस भूखण्ड का आकार 1000 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक हो, 07 वर्ष की अवधि तक जिस भूखण्ड का आकार 5000 वर्ग मीटर तक हो, उन प्रकरणों में भूखण्ड का पजेशन/अधिकार प्राप्त करने की दिनांक से लेवी राशि का भुगतान 01 प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष हेतु वर्तमान आरक्षित की दर से संबंधित प्राधिकरण को 03 वर्ष तक करना होगा। जब तक की केता द्वारा अपने भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं करवा लिया गया हो। अन्यथा भूखण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त हो जावेगी।
17. अन्य सभी राजकीय नियमों आदेशों (समय–समय पर यथा संशोधित) की पालना खरीददार को करना होगी तथा भविष्य में इस बाबत् कोई नियम बनाये जावेंगे तो वह प्रस्तावित एकल भूखण्ड पर लागु होंगे।

(मनीष राठी)
अध्यक्ष
नगरपालिका नाथद्वारा

17/3/2023
(कौशल कुमार खटूमरा)
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

दुरभाष नम्बर :– **02953–233526,**
मोबाईल नम्बर :– **9680787977, 8003448227**

कमांक/न.पा.नाथ/राजस्व/2023/21393–21399 **दिनांक :–17/3/2023**

प्रतिलिपी :–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राजसमन्द।
2. श्रीमान उपनिदेशक महोदय (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा।
4. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका, नाथद्वारा।
5. श्री हरीश सैन सहायक प्रोग्रामर नगर पालिका नाथद्वारा को आदेशित किया जाता है उक्त सूचना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करे।
6. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान संवाद सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग परिसर शासन सचिवलय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त ऑक्शन सूचना का प्रकाशन
   1. आगामी 2 राज्यस्तरीय समाचार पत्रो में सम्पूर्ण राज्य अंक में एंव
   2. 1 केन्दीयस्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें। एवं बिल 3 प्रतियों में प्रस्तुत करें।
7. शाखा प्रबन्धक HDFC बैंक नाथद्वारा को भेज कर सुचित किया जाता है कि उक्त ई–निलामी सुचना MOU अनुसार ऑनलाईन पार्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

17/3/2023
(कौशल कुमार खटूमरा)
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

आयुक्त
नगरपालिका, नाथद्वारा

Scanned by CamScanner